

कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

//ज्ञापन//

कमांक/1427/मबावि/भंडार/2016-17

नारायणपुर, दिनांक 6/03/2017

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क एवं प्रकाशन संचालनालय,
रायपुर (छ0ग0)

विषय:- विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में ।


संदर्भ:- संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र कमांक/9392/मबावि/
आईसीडीएस-03/16-17 नया रायपुर, दिनांक 18.02.2017 ।

-00-

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर के संदर्भित पत्र अनुसार नारायणपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये प्री-स्कूल किट की सामग्री क्रय हेतु दरें आमंत्रित किया जाना है ।

अतः इस संबंध में संलग्न विज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले बहु प्रसारित 02 समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय स्तर के 01 समाचार पत्रों में दिनांक 06/03/2017 तक प्रकाशित करने का कष्ट करें ।


संलग्न:- निविदा सूचना


जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला-नारायणपुर

पृ0कमांक/1427^(A)/मबावि/भंडार/2016-17
प्रतिलिपि:-

नारायणपुर, दिनांक 6/03/2017

1. संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर को सूचनार्थ ।


जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला-नारायणपुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला -नारायणपुर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

क्रमांक /14 21/मबावि/भंडार/2016-17

नारायणपुर दिनांक 6/03/2017

-: अल्पावधी निविदा सूचना :-

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग)जिला-नारायणपुर के अधीन संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्री-स्कूल किट की सामग्री क्रय की जाने हेतु दरें आमंत्रित की जाती है ।

इच्छुक प्रदायकर्ता दिनांक 15/03/2017 को अपराह्न 02:00 बजे तक निविदा सील बन्द लिफाफे में कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) के कार्यालय में रखी सील बन्द पेट्टी में डालना होगा । निविदा दिनांक 15/03/17 सायं 04:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी ।

प्री-स्कूल किट प्रदाय संबंधी नियम, शर्तें, सामग्री सूची मय स्पेसिफिकेशन के एवम धरोहर राशि इत्यादि जानकारी प्राप्त करने हेतु रूपये 1000/-रु० विभागीय मद "0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-2- विविध आय" में जमा करके चालान की प्रति प्रस्तुत कर कार्यालय से कार्यालयीन समय में दिनांक 15/03/2017 को दोपहर 12:00 बजे तक निविदा (टेन्डर) फार्म प्राप्त किया जा सकता है । निविदा प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तें www.narayanpur.gov.in से भी देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं । वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ 1000 रु० का चालान प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी ।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला-नारायणपुर

कार्यालय कलेक्टर, जिला-नारायणपुर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

कमांक/14 27 /मबावि/भंडार/2016-17

नारायणपुर दिनांक 6/03/2017

—: निविदा :-

जिला-नारायणपुर के अन्तर्गत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न सूची के मान से सामग्री क्रय (प्री-स्कूल किट) प्रदाय हेतु दरे आमंत्रित है, इसके लिए इच्छुक प्रदायकर्ता सील बन्द निविदा तीन पृथक लिफाफों में सेम्पल सहित दिनांक 15/03/2017 को अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-नारायणपुर में प्रस्तुत कर सकते है ।

निविदा की शर्तें :-

1. अमानती राशि (अरनेस्टमनी) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का राशि 50,000/-रु० (राशि पचास हजार रूपये मात्र) का केवल डिमांड ड्राफ्ट जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला-नारायणपुर को देय होगा ।
2. सभी प्रकार के टैक्स आदि का वहन निविदा दाता द्वारा किया जावेगा ।
3. निविदादाता द्वारा पिछले 2 वर्षों में से किसी एक वर्ष का आयकर रिटर्न संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. निविदा में दरे समस्त टैक्स सहित एवं एफ.ओ.आर.सहित परियोजना मुख्यालयों जिला-नारायणपुर हेतु होगी ।
5. दरे स्वीकृत होने पर निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री की पूर्ति न होने पर अमानत राशि जप्त की जावेगी ।
6. निविदा प्रस्तुत करते समय सामग्री का नमूना देना अनिवार्य है । नमूने पर फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के पूरे हस्ताक्षर व फर्म की सील (रबर स्टेम्प) अंकित होना अनिवार्य है ।
7. क्रय की जाने वाली सामग्री की संख्या/मात्रा निर्धारित करने का अधिकार कलेक्टर को होगा ।
8. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 50/- रूपये नानजुडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना अनिवार्य होगा ।
9. निविदा सामग्री संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कलेक्टर जिला-नारायणपुर का निर्णय अंतिम होगा ।
10. निविदादाता की फर्म का सेल्स टेक्स/टीन नम्बर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है । रजिस्ट्रेशन में प्रदाय किये जाने वाली सामग्री का स्पष्ट उल्लेख हो सामग्री का उल्लेख नही होने पर विचार नही किया जावेगा ।
11. फर्म को सामग्री जिला महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर में सामग्री पहूचाकर देनी होगी । सत्यापन उपरान्त फर्म को संपूर्ण किट तैयार कर परियोजनाओं में पहूचाना अनिवार्य होगा जिसके फर्म को पृथक से परिवहन का भुगतान नही किया जावेगा ।
12. निविदा दिनांक 15/03/2017 को कार्यालय कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग में 04:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी ।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जिला-नारायणपुर होगा ।

14. आंगनबाड़ी केन्द्र के प्री स्कूल किट के लिये प्रति केन्द्र 2100 रू0 (समस्त कर सहित) निर्धारित है एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए प्रति केन्द्र 850 रू0 (समस्त कर सहित) निर्धारित है। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक की दर मान्य नहीं होगी।
15. आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये प्री-स्कूल किट में परिशिष्ट "अ" अनुसार सामग्री प्रदाय की जानी है एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए परिशिष्ट "ब" अनुसार सामग्री प्रदाय की जानी है। संचालनालय से प्राप्त निर्देशानुसार प्री-स्कूल किट सामग्रियों का कय किया जावेगा। सूची से पृथक सामग्री का कय नहीं किया जावेगा।
16. यदि किसी फर्म द्वारा सूची में दर्शित सभी सामग्री निविदा में फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल में नहीं पायी जाती है तो उस फर्म की निविदा अमान्य कर दी जावेगी। इस संदर्भ में किसी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
17. निविदा तीन लिफाफे "अ" "ब" एवं "स" में प्राप्त की जावेगी। प्रथम लिफाफे "अ" में अमानती राशि संबंधी ड्राफ्ट, "ब" में आवश्यक दस्तावेज तथा "स" लिफाफे में दर प्राप्त की जायेगी। सर्व प्रथम लिफाफा "अ" खोला जायेगा जिसमें अमानत राशि होगी यह शर्त पूरी करने पर लिफाफा "ब" आवश्यक दस्तावेज संबंधी लिफाफा खोला जावेगा यह शर्त पूरी करने पर दर संबंधी लिफाफा "स" खोला जावेगा। दर आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्री-स्कूल किट/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्री-स्कूल किट हेतु भरी जावे। पृथक पृथक सामग्री दरे मान्य होंगी एवं अंतिम कुल राशि अंकित करे।
18. रूपये 1000/- शीर्ष 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अन्य प्राप्तिमां मद में जमा कर निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र तथा नियम एवं शर्तें www.narayanpur.gov.in पर भी देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं। वेबसाईट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ 1000 रू0 का चालान प्रस्तुत करने पर ही निविदा मान्य होगी।
19. किसी भी निविदा को मान्य करने अथवा अमान्य करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा। जिन फर्मों की निविदा अस्वीकार की जावेगी उन्हें पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
20. प्रदायित सामग्री का जिला कय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन उपरांत सभी सामग्रियां सही पाए जाने पर ही भुगतान किया जावेगा।
21. सामग्री कार्यालय तक पहुंचाने के दौरान सामग्री को यदि किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो फर्म को 3 दिवस के अंदर सामग्री स्पेशीफिकेशन अनुसार बदलकर कार्यालय में देनी होगी।
22. निर्धारित समयावधि में सामग्री प्राप्त न होने की स्थिति में आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी व प्रस्तुत अमानती राशि राजसात कर ली जावेगी।
23. कय की जाने वाली सामग्री टाक्सिक एवं धारदार नहीं होनी चाहिए तथा सामग्री बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित हो। निविदा प्रपत्र के साथ फर्म को टाक्सिक अथवा धारदार नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसमें कय किये जाने वाली प्री-स्कूल किट की सामग्री का स्पष्ट उल्लेख हो। निविदा स्वीकृत होने पर सामग्री प्रदाय के साथ पुनः उक्त प्रमाण पत्र फर्म को प्रस्तुत करना होगा।
24. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आमंत्रित है। अतः सफल निविदाकारों की अमानत राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् ही जारी की जावेगी।
25. सफल निविदाकारों को 30 दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी।

26. भण्डार कय नियम 4.13 के अनुसार 2 प्रतिशत प्रतिमाह के दर से पेनाल्टी के साथ कटौती की जायेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ0क्रमांक / 1427 / मबावि / भंडार / 2016-17

प्रतिलिपि :-

1. मेसर्स.....
.....
.....
2. नोटिस बोर्ड हेतु ।

जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

नारायणपुर , दिनांक 6/03/2017

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

लिफाफा (अ) में रखे जाने वाला प्रपत्र

आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री-स्कूल किट का कय

1. फर्म का नाम :
2. फर्म का पूरा पता :
- दूरभाष नम्बर :
- मोबाइल नम्बर :
3. फर्म की ओर से निविदाकर्ता:
का नाम एवं पद :
4. आमानत राशि के रूप में जमा:
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/दिनांक :

फर्म का सील एवं
प्रो० के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

लिफाफा (ब) में रखे जाने वाला प्रपत्र

आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री-स्कूल किट का कय

1. फर्म का नाम :.....
:.....
2. फर्म का पूरा पता :.....
(ईकाई छोड़कर में स्थापित है या नहीं).....
:.....
दूरभाष नम्बर :.....
मोबाइल नम्बर :.....
3. फर्म की ओर से निविदाकर्ता का नाम एवं पद :.....
:.....
4. फर्म का जिला उद्योग केन्द्र से रजिस्ट्रेशन क्रमांक/दिनांक :.....
:.....
5. फर्म का सेल्स टैक्स नंबर/क्लियरिंग सर्टीफिकेट प्रमाण-पत्र :.....
:.....
6. विगत 2 वर्षों में किसी 1 वर्ष का: आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज :.....
:.....
7. अमानत राशि के रूप में जमा बैंक: ड्राफ्ट क्रमांक/दिनांक :.....
:.....
8. यदि प्री स्कूल किट प्रदाय का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र :.....
:.....

फर्म का सील एवं
प्रो० के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

लिफाफा (स) दर संबंधी

आंगनबाड़ी / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री-स्कूल किट का कय

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए दर			
क्र.	आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु आइटम वार प्री-स्कूल किट	दर (अंको में)	आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु आइटम वार प्री-स्कूल किट की दर (शब्दों में)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
	कुल दर		

मिनी आं0बा0 केन्द्रों के लिए दर

क्र.	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु आइटम वार प्री-स्कूल किट	दर (अंको में)	आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु प्रति किट प्री-स्कूल किट की दर (शब्दों में)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
	कुल दर		

संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार आं0बा0 केन्द्रों के लिए समस्त सामग्री की दर एक साथ निर्धारित दर (रु. 2100.00 मात्र) समस्त कर सहित के अंदर मान्य किया जावेगी । एवं संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार मिनी आं0बा0 केन्द्रों के लिए समस्त सामग्री की दर एक साथ निर्धारित दर (रु.850.00 मात्र) समस्त कर सहित के अंदर मान्य किया जावेगा । निर्धारित राशि से अधिक की दर अमान्य होगी ।


1. फर्म का नाम :
2. फर्म का पूरा पता :
- दूरभाष नम्बर :
- मोबाइल नम्बर :
3. निविदा फार्म के साथ :

फर्म का सील एवं
प्रो० के हस्ताक्षर
 नाम.....
 पता.....
 Page-9

**आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए कय किये जाने वाली
प्री स्कूल एजुकेशन किट की सामग्रियों
परिशिष्ट "अ"**

1. वर्ष 2016-17 में प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रदाय किये जाने हेतु प्री स्कूल किट अंतर्गत निर्धारित सामग्रियों की सूची :-

क	मुक्त खेल (फ्री प्ले) हेतु आवश्यक सामग्री	किट हेतु निर्धारित सामग्री की संख्या
1	बिल्डिंग वीकर -	2 सेट
2	डाईंग बुक	5 नग
3	पजल -3 (फल, जानवर, आकार, प्रत्येक का 01 सेट) वुडन बोर्ड	सभी प्रकार का 1-1 सेट
4	गुडिया	05 नग
5	मुखौटे - शेर, बंदर भालू, हाथी, खरगोश, कुत्ता बिल्ली	10 नग
6	किचन सेट, डॉक्टर सेट, तराजू सेट	सभी प्रकार का 1-1 सेट
7	हैण्ड पेपेट	2 नग
	शारीरिक विकास / बाहरी खेल से संबंधित सामग्री	
8	बैट बाल -	2 सेट
9	सीटी	2 नग
10	रबर रिंग	02 नग
11	फ्लाइंग डिस्क	01 नग
12	लट्टू	04 नग
	बौद्धिक विकास से संबंधित सामग्री	
13	सिलेंडर बॉक्स (वुडन)	02 नग
14	शेप बॉक्स	02 नग
	सृजनात्मक विकास से संबंधित सामग्री	
15	कागज रंगीन	02 पैकेट
16	केयान	05 पैकेट
17	चॉट (फल, जानवर, वर्णमाला, गिनती) प्रत्येक के 01-01 नग	1 सेट
	शाला पूर्व तैयारी से संबंधित सामग्री / अन्य सामग्री	
18	स्लेट	10 नग
19	फ्लैनेल बोर्ड	01 नग
20	कार्टिंग फ्रेम	01 नग



 जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
 जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए कय किये जाने वाली

प्री स्कूल एजुकेशन किट की सामग्रियों
परिशिष्ट "ब"

1. वर्ष 2016-17 में प्रत्येक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रदाय किये जाने हेतु प्री स्कूल किट अंतर्गत निर्धारित सामग्रियों की सूची :-

क	सामग्री	किट हेतु निर्धारित समाग्री की सख्या
1	बिल्डिंग बीकर	1 सेट
2	पजल -3 (फल, जानवर, आकार, प्रत्येक का 01 सेट) वुडन बोर्ड	सभी प्रकार का 1-1 सेट
3	बैट-बाल सेट	1 सेट
4	पहिए से खीचने वाला खिलौना (कार/ट्रेन/एरोप्लेन)	सभी प्रकार का 1-1 सेट
5	बॉलिंग सेट	1 सेट
6	फुटबॉल	2 नग
7	किचन सेट, डॉक्टर सेट, तराजू सेट(प्रत्येक 01-01 नग)	1 नग
8	रबर रिंग	1 नग
9	फ्लाइंग डिस्क	1 नग
10	सीटी	1 नग
11	रिंग एण्ड स्टेक	1-1 नग


जिला महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला-नारायणपुर (छ.ग.)